

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर  
बाबूलाल बनाम रामलाल

तारीख हुक्म

487  
2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

24/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील को नो- इंस्ट्रक्शन करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी अब अपनी अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है | अतः अपील अपीलार्थी नो- इंस्ट्रक्शन किये जाने से खारिज फरमाई जावे | चूँकि अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील नो- इंस्ट्रक्शन कर अपील खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है | अतः अपील अपीलार्थी नो- इंस्ट्रक्शन किये जाने से खारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया |

2